

उत्तरपुस्तिका दिखाने हेतु आवेदन पत्र

(Application form for Observation of the Answer Copy/Copies by a Candidate Board Regulation 119, 148)

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
पेंशन बाड़ा, रायपुर

1. नाम
2. अनुक्रमांक (Roll No.).....
3. परीक्षा का नाम.....
4. मुख्य/पूरक.....
5. परीक्षा वर्ष.....
6. केन्द्र का नाम.....
7. केन्द्र क्रमांक.....
8. नियमित छात्र के लिये संस्था का नाम.....
.....उ.मा.वि.....
9. प्रकरण क्रमांक.....

विषय : उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक/ /पुर्नगणना सेल/2009 रायपुर, दिनांक.....के माध्यम से प्राप्त पुर्नगणना का परिणाम

महोदय,

मैंने पुर्नगणना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । जिसका परिणाम मुझे संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त हो गया है । मैं पुर्नगणना के परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ । मैं निम्नांकित विषय/विषयों की उत्तर पुस्तिका देखना चाहता/चाहती हूँ :-

विषय/प्रश्न-पत्र

1.
2.
3.
4.
5.
6.

इस हेतु प्रति विषय/प्रश्न पत्र रुपये 500/- की दर से कुल राशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक बैंक का नाम संलग्न है ।

सं.क्र.	विषय	प्राप्तांक	पुनर्गणना उपरांत प्राप्तांक में परिवर्तन यदि हुआ है तो प्राप्त अंक

टीप : सूचना पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

शाला का पता :

.....उ.मा.वि.
.....तहसील.....
.....पो.ऑफिस.....
जिला.....पिनकोड.....

आवेदक के हस्ताक्षर
पता
तहसील पो.ऑफिस
जिला पिनकोड (छ.ग.)

उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया

01. अभ्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु अंकों के सत्यापन (पुनर्गणना) की सूचना जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अथवा सूचना सम्बंधि विज्ञप्ति प्रसारित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर सशुल्क आवेदन प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित अवधि के बाद आवेदन ग्राह्य नहीं किये जायेंगे ।
02. उत्तरपुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु वे ही छात्र आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने पुनर्गणना हेतु आवेदन किया था तथा उन्हीं विषयों की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु आवेदन कर सकेंगे जिन विषयों की उन्होंने पुनर्गणना हेतु आवेदन किया था ।
03. उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु रु. 500/- पांच सौ रुपये प्रति विषय शुल्क निर्धारित की जाती है, शुल्क का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का जो सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम देय हो मान्य किया जावेगा ।
04. आवेदन पत्र के साथ अंकों की पुनर्गणना सूचना पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
05. छात्र को भेजी गई उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति में किसी भी प्रकार की कांट/छांट कर प्रस्तुत करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत होगा एवं मण्डल इस प्रकार के प्रकरणों पर नियमानुकूल कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

06. अभ्यर्थी को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियां सम्बंधित शाला के प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त करना होगा । स्वाध्यायी छात्र के नाते सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को सम्बंधित केन्द्र के प्राचार्य के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करना होगा । अभ्यर्थी को संस्था/केन्द्र पर मण्डल द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई उत्तर पुस्तिका की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा दी जावेगी ।
07. संस्था/केन्द्र से उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने का दायित्व सम्बंधित छात्र का होगा ।
08. निर्धारित समयावधि के बाद या डाक विभाग के द्वारा विलम्ब से वितरित करने का कारण मान्य नहीं किया जावेगा ।
09. अंक सत्यापन का सूचना पत्रक में प्रकरण क्रमांक अंकित है उत्तर पुस्तिका दिखाने हेतु आवेदन पत्र में प्रकरण क्रमांक दर्ज करना आवश्यक है ।

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर